परिपत्र संख्या– /सामा–1(3)/बं0स्था0/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2018

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर एक कारागार से दूसरी कारागार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार एवं सम्बन्धित परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार के स्तर से प्राप्त स्थानान्तरण के प्रस्तावों के परीक्षण में पाया गया है कि अधिकांश कारागारों द्वारा आवश्यकता से अधिक काफी संख्या में स्थानान्तरण प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जा रहे हैं तथा परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा उन प्रस्तावों का गहनता से परीक्षण न कर उन्हें मात्र अग्रसारित कर दिया जा रहा है। स्थानान्तरण प्रस्ताव में बंदी के आपराधिक क्षेत्र, बंदी के गैंग/गुट के सदस्यों का विवरण व उनकी वर्तमान निरूद्धि कारागार आदि का कोई उल्लेख नहीं होता है, जिसके कारण मुख्यालय स्तर पर इन बंदियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागारों का चयन करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कारागारों से प्रशासनिक आधार पर प्राप्त होने वाले सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों के प्रस्तावों का गहनता से परिशीलन किया जाए तथा आवश्यक प्रकरणों में बंदी के आपराधिक कार्यक्षेत्र, उनके सहअभियुक्तों/गुट के सदस्यों का विवरण तथा उनकी वर्तमान निरूद्धि की कारागारों का उललेख प्राप्ते करते हुए अपने स्तर से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु 04 कारागारों के नाम की संस्तुति भी उपलब्ध करायी जाए।

इस सम्बन्ध में सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में स्थानान्तरण रोल का नवीनतम प्रारूप इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया स्थानान्तरण प्रारूप में सम्बन्धित बिन्दुओं पर पूर्ण एवं तथ्यात्मक आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0– 17 /सामा–1(3)/बंदी स्था0/2019 तद्दिनांक

उपरोक्त परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार प्रशासन एवं विभाग, लखनऊ।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न किये जा रहे स्थानान्तरण प्रारूप में अंकित समस्त बिन्दुओं को पूर्ण करते हुए संगत साक्ष्यों सहित प्रकरण परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– स्थानान्तरण रोल का प्रारूप।

27/6/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

Acer/F:/Anand/Bandi Transfer/letter 2019

बंदियों के स्थानान्तरण रोल का नवीनतम प्रारूप

कारागार का नाम.................. दिनांक.......................... कुल बंदी क्षमता....................... वर्तमान बंदी संख्या.....................

1– बंदी का नाम (1) पिता का नाम (2) निवास स्थान का पता (3)बंदी संख्या– (4)वर्तमान आयु	
2–यदि बंदी विचाराधीन है तो– (1)निरूद्धि अवधि (किस दिनांक से) (2)पूर्व की कारागारों में निरूद्धि अवधि एवं कारागारों का नाम (किस दिनांक से किस दिनांक तक) (3) अ0सं0 , धारा व विचारण न्यायालय का नाम	
3–यदि बंदी मात्र सिद्धदोष है तो– (1)आपकी कारागार में निरूद्धि अवधि (किस दिनांक से) (2)पूर्व की कारागारों में निरूद्धि अवधि(किस दिनाक से किस दिनांक तक) (3) अ0सं0 व धारा (4)सजा का विवरण तथा सजा का दिनांक (5)दाण्डिक न्यायालय (6)लम्बित अपील, निजी अथवा शासकीय	
4–यदि बंदी सिद्धदोष/विचाराधीन दोनों है तो– (1)आपकी कारागार में निरूद्धि अविध(किस दिनांक से) (2)पूर्व की कारागारों में निरूद्धि अवधि(किस दिनांक से किस दिनांक तक) (3) विचाराधीन वादों से सम्बन्धित अ0सं0 व धारा तथा जनपद (4)सिद्धदोष घोषित होने पर सजा का विवरण, सजा का दिनांक तथा दाण्डिक न्याायालय का नाम (मा0 न्यायालय से सिद्धदोष घोषित होने की तिथि को अथवा उसके बाद विचाराधीन वादों का विवरण दिया जाए	
5–बंदी द्वारा भोगी गयी कुल सजा– (1)अपरिहार (2)सपरिहार	
6–बंदी का कारागार में आचरण	
7 –जेल में बंदी को दिये गये दण्डों का विवरण(पेशी रजिस्टर का विवरण एवं संक्षिप्त सूची	
8–बंदी के स्वास्थ्य की दशा	
9–स्थानान्तरण का आधार (प्रशासनिक अथवा निजी अनुरोध)	

10–यदि स्थानान्तरण का आधार प्रशासनिक है तो– (1) बंदी का आपराधिक क्षेत्र– (2) बंदी के सहअभियुक्तों अथवा गुट के सदस्यों का विवरण	 1 2 3 4
(3)बंदी के सहअभियुक्तों अथवा गुट के सदस्यों की निरूद्धि कारागार/कारागारें	1 2 3 4
(4)प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने का पर्याप्त औचित्य(साक्ष्य संलग्न किये जायें)	
11–आपकी कारागार में निरूद्धि के पूर्व बंदी की अन्य कारागारों में निरूद्धि के दौरान उसके मुख्यालय/शासन/मा0 न्यायालय/जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से किये गये स्थानान्तरणों का विवरण– (1)सक्षम अधिकारी का पदनाम (2)स्थानान्तरण आदेश संख्या– (3)स्थानान्तरण का दिनांक–	 1. 2. 3.

अग्रसारणकर्ता के हस्ताक्षर	कारापाल के हस्ताक्षर	चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर	वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के हस्ताक्षर

(परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा भरा जायेगा)।

(1)उप महानिरीक्षक कारागार की आख्या/संस्तुति..

....।

(2) प्रस्तावित कारागारों के नाम 1................

2.................

3.................

4..................

उप महानिरीक्षक कारागार,
के हस्ताक्षर

<u>नोटः</u>– प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी के नाम, पदनाम की मोहर सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें। साथ ही पूर्ण स्थानान्तरण रोल के साथ बंदी के पूर्व में किये गये समस्त स्थानान्तनरण आदेशों की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजी जाये। अपूर्ण प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकृत करते हुए परिपत्र संख्या—07/सामा–1(3)/बंदी स्था0/2018, दिनांक 18.04.2019 में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।